21-11-22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्रामदानी ग्राम सभा खोरा पटवार हल्का भूदोली स्थित खसरा नंबर 2235, 2259, 2260, 2261 कुल किता 4 कुल रकबा 6.77 हैक्ट0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी है जो वर्तमान में ग्रामदान अधिनियम से शासित है जिसकी सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। साथ ही अविभाजित भूमि है जिसमें केवल प्रार्थी के हिस्से की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी खारिज किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner